निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 452) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(देव0)–10–125/94/561—श्री राम स्वरूप प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि वर्ष 1986–87 से 1988–89 में बरती गई अनियमितताओं की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। तीन अलग–अलग आरोपों के लिए विभागीय उड़नदस्ता द्वारा तीन जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया। उड़नदस्ता से प्राप्त तीनों जॉच प्रतिवदेन के आलोक में उनसे तीन स्पष्टीकरण किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा एक साथ की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या 1002 सह पठित ज्ञापांक 2940 दिनांक 15.09.97 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

''15 (पन्द्रह) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।''

2. एक अन्य मामले में जब श्री प्रसाद, कमला नहर प्रमंडल, जयनगर में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तब उन्हें दिनांक 31.01.1997 को सेवानिवृत होना था लेकिन श्री प्रसाद द्वारा अवैध रूप से दिनांक 30.05.1997 तक पद पर बने रहे एवं वेतनादि प्राप्त करते रहे। उपरोक्त आरोप के लिए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत कार्रवाई की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उक्त आरोप प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश संख्या 2117 दिनांक 08.07.99 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(क) यदि कोई नोशनल प्रोन्नति देय हो तो उससे वंचित रहेंगे।

(ख) दिनांक 01.02.97 से दिनांक 30.05.97 तक की अवधि में प्राप्त किये गये वेतन एवं सभी प्रकार के भत्ते आदि से एकमुश्त वसूली इनके उपादान से की जाय।

(ग) 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

श्री प्रसाद द्वारा उक्त वर्णित दोनों दण्डादेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0–3913/02 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 29.07.09 को माननीय न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त वर्णित दोनों दण्डादेशों यथा आदेश संख्या 1002 सह पठित ज्ञापांक 2940 दिनांक 15.09.97 एवं आदेश संख्या 2117 दिनांक 08.07.99 को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया। साथ ही श्री प्रसाद से कारण पृच्छा करने, एवं आरोप से उनके द्वारा इनकार करने की स्थिति में पूर्णरूपेण विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व की तरह 65% प्रतिशत पेंशन भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से पूर्व में गठित आरोपों के आधार पर संयुक्त रूप से आरोप पत्र तैयार कर, संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1646 दिनांक 10.11.2010 द्वारा कारण पृच्छा की गयी जिसके संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया कि उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा एल0 पी0 ए0 संख्या 1415/10 दायर की गयी है। समीक्षा में पाया गया कि उक्त एल0 पी0 ए0 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है । तत्पश्चात समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 635 दिनांक 31.05.2011 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसके संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संक्षिप्त आरोप–_वित्तीय वर्ष 1986–87 से 1988–89 में जब आप सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तब उस कार्यकाल में बरती गयी अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। समीक्षोपरान्त निम्नांकित आरोप पाया गया :–

1. कोटेशन नोटिस संख्या 1057 दिनांक 15.04.88 द्वारा 84 नम्बर चेन बेरियर की आपूर्ति आमंत्रित की गई परन्तु प्रमंडलीय कार्यालय में किसी प्रकार की लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण उसकी खपत का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ।

2. प्रमंडल के मापपुस्त सं0 632 के पृष्ठ 46–48 पर चार विपत्र चढाया गया है परन्तु उसके टुकड़े–टुकड़े में अलग कर पारित करने के लिए दोषी हैं।

3. मापपुस्त सं0 542 में छोटे–छोटे विपत्र चढ़ाया गया है जो नियम के विरूद्ध है।

4. भंजोषी शाखा नहर के चेन संख्या 0 से 04 तक मिट्टी कार्य से संबंधित निविदा सूचना देखने से स्पष्ट है कि कार्य छोटे–छोटे टुकड़े करके कराया गया है जो नियम के विरूद्ध है।

5. हलसी राजवाहा, हसनपुर वितरणी एवं शमी राजवाहा में आपके अवधि में कराये गये कार्य का स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। संबंधित अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त भुगतान का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है।

6. औरैया प्रेमडीहा प्रमंडल आदि स्थानों पर कराये गये कार्य को बिना जॉच किये विपत्रों को पारित करने एवं अतिरेक भुगतान के संबंध में दोषी पाये गये।

7. वर्ष 1986–87 में विभिन्न सहायक अभियंताओं को दिये गये अग्रिमों से संबंधित प्रमाणक एवं मापपुस्त प्रमंडल में उपलब्ध नहीं है।

8. जॉच में महादेव सिमरियॉ कॉलोनी के लिए क्रय किया गया टंकी यत्र–तत्र पड़ा हुआ पाया। पानी टंकी की आपूर्ति से संबंधित एक कार्य का तीन एकरारनामा एक ही संवेदक के साथ करने एवं टंकी का सदुपयोग नहीं होने के फलस्वरूप सरकारी राशि का दुरूपयोग का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है।

9. सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के अन्तर्गत 10 (दस) हॉर्स पावर का एक पंपींग सेट का क्रय किया गया परन्तु उसे कहीं लगाया नहीं गया इससे सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया।

10. आपके द्वारा 84 अदद चेन बैरीयर्स का क्रय किया गया परन्तु 55 अदद चैन वैरीयर्स कनीय अभियंता के लेखा में बेकार पड़ा रहा। इस प्रकार अनावश्यक व्यय के लिए आप उत्तरदायी हैं।

11. आपके द्वारा कौपर सील की आपूर्ति कोटेशन प्राप्त किया गया। आपके द्वारा स्वच्छ प्रतियोगिता नहीं अपनाकर मुख्य सचिव के परिपत्र सं0–462 दिनांक 30.3.82 का उल्लंधन किया गया ।

12. आपके द्वारा फरवरी, 88 में 1600 अदद चुनार बाउन्ड्री पीलर की आपूर्ति लिया गया परन्तु जॉच के समय 1365 बाउन्ड्री पीलर अव्यवहृत पाया गया। इस प्रकार 1,70,500/– रूपये अनावश्यक व्यय के लिए उत्तरदायी हैं।

13. आपके द्वारा न्यू शिविर सिकन्दरा स्थित निरीक्षण भ्वन के लिए क्रय किये गये 11 (ग्यारह) अदद वाटर टैंक अव्यवहृत पाये गये।

14. महादेव सिमरियॉ सिंचाई शिविर का एफ टाइप आवासी भवन अधूरा पाया गया। भवन का निर्माण विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

15. संरचना के डेक स्लैब का कार्य में लोहा बाहर दिखता है।

16. संरचना के मोर्टार नमूने के जॉचफल से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया।

17. नियमानुसार विपत्र की जॉच कार्यपालक अभियंता को करना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं करने के लिए उत्तरदायी हैं।

18. जब आप कमला नहर प्रमंडल, जयनगर में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तब आपका दिनांक 31.01.1997 को सेवानिवृत होना था लेकिन अवैध रूप से दिनांक 30.05.1997 तक पद पर बने रहे एवं वेतनादि प्राप्त करते रहें। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा जान–बूझकर सेवानिवृति की तिथि के बाद सेवा में बने रहें एवं अवैध ढंग से वेतनादि प्राप्त करते रहें।

उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया। जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद को बचाव बयान देने हेतु कई बार स्मारित किया गया तथा समाचार पत्र के माध्यम से भी बचाव बयान देने हेतु अनुरोध किया गया। इसके बावजूद भी श्री प्रसाद संचालन पदाधिकारी के समक्ष न तो उपस्थित हुए और न ही बचाव बयान समर्पित किये। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 205 दिनांक 13.02.2014 द्वारा श्री

प्रसाद सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी परन्तु उनके द्वारा जवाब समर्पित नहीं किया गया। उनका जवाब अप्राप्त रहने के उपरान्त विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री प्रसाद को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। श्री प्रसाद के जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित याचिका में पारित न्याय निर्णय में वादी के असहयोग करने की स्थिति में एक पक्षीय निर्णय लेने की छूट दी गयी है। अतः न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा मामले के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रसाद सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध उक्त वर्णित आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री राम स्वरूप प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को पूर्व में विभागीय दंडादेशों दिनांक 15.09.97 एवं 08.07.99 को निरस्त करते हुए उक्त वर्णित दोनों आदेशों द्वारा संसूचित दंड को ही बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया :–

(1) 35 (पैंतीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

(2) दिनांक 01.02.97 से 30.05.97 तक की अवधि में प्राप्त किये गये वेतन एवं सभी प्रकार के भत्ते की एकमुश्त वसूली।

(3) यदि कोई नोशनल प्रोन्नति देय हो तो उससे वंचित रहेंगे।

(4) उपरोक्त दंड प्रस्ताव में से 35 (पैंतीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक का दंड, वृहत दंड रहने के कारण उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राम स्वरूप प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को पूर्व में संसूचित दंड से संबंधित विभागीय आदेश सं0 1002 सह पठित ज्ञापांक 2940 दिनांक 15.09.97 एवं विभागीय आदेश सं0 2117 दिनांक 08.07.99 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त वर्णित दोनों आदेशों द्वारा ही संसूचित दंड को बरकरार रखा जाता है। तदनुसार इन्हें निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

(1) 35 (पैंतीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

(2) दिनांक 01.02.97 से 30.05.97 तक की अवधि में प्राप्त किये गये वेतन एवं सभी प्रकार के भत्ते की एकमुश्त वसूली।

(3) यदि कोई नोशनल प्रोन्नति देय हो तो उससे वंचित रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 452-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in